# प्रेस विज्ञप्ति

## बिहार पुलिस मुख्यालय,

### दिनांक–31.08.2023 (सं0–390)

**विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस के नए दायित्वों के निर्वहन, अनुसंधान नियंत्रण एवं यातायात संचालन हेतु कार्यहित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 11 हजार पदों पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति**

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सहपठित ज्ञापांक 5066 दिनांक 11.04.2019 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। इसके फलस्वरूप बिहार पुलिस पदाधिकारियों के विभिन्न प्रोन्नति आधारित महत्वपूर्ण पद, यथा–पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक में बड़ी संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो रही है।
- पुलिस पदाधिकारियों की आवश्यकता अनुसंधान, विधि–व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं यातायात संचालन आदि में है साथ हीं बिहार पुलिस को हाल में कई नए दायित्वों, यथा–ERSS (डायल–112 सेवा), साईबर थाना, महिला हेल्प–डेस्क एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यातायात संचालन आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त दायित्वों को कारगर रूप से निभाने के लिए पदाधिकारियों की वर्तमान में उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
- अतः इसके समाधान हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यहित में बिहार पुलिस के पदाधिकारी संवर्ग यथा–सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में योग्य पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार दिए जाने का निर्णय गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 10606, दिनांक 30.08.2023 के द्वारा संसूचित किया गया है। इस कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
- सम्बन्धित पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत प्रभारित पद के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा तदनुसार वर्दी धारण कर सकेंगे। कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत उच्चतर पद पर जाने वाले पदाधिकारियों के प्रशासनिक, अनुशासनिक एवं विधिक प्राधिकार इस पद हेतु जो सक्षम प्राधिकार हैं, वही होंगे। कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत कार्य किए जाने से प्रोन्नति अथवा वरीयता का दावा वर्तमान अथवा भविष्य में मान्य नहीं होगा तथा इसके कारण किसी भी प्रकार के उच्चतर पद के वेतन का दावा भी स्वीकार्य नहीं होगा।

**सहायक अवर निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक की कोटि के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में रिक्ति की विवरणी (दिनांक–27.03.2023 को)**

| क्र.स. | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | प्रोन्नति पदों पर रिक्ति | प्रतिशत पदों की रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक अवर निरीक्षक | 15602 | 9367 | 60 % |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 20975 | 7485 | 71 % |
| 3 | परिचारी प्रवर | 148 | 145 | 98 % |
| 4 | पुलिस निरीक्षक | 2216 | 1322 | 60 % |
| 5 | पुलिस उपाधीक्षक | 769 | 234 | 61 % |
| **कुल** | | **39710** | **18553** | **64** % |

- सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में कार्यकारी प्रभार हेतु योग्य पाये गये तत्काल लगभग 11 हजार पुलिस पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार दिये जाने की तैयारी की जा रही है तथा सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पदों पर कार्यकारी प्रभार की व्यवस्था हेतु पुलिस मुख्यालय के द्वारा शीघ्र आदेश निर्गत किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर कार्यकारी प्रभार की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव गृह विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।
- उक्त व्यवस्था से पुलिस पदाधिकारी पूर्ण मनोयोग्य तथा उर्जा से अपने अग्रतर उच्चतर कार्यकारी दायित्वों पर महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगें।

**xxxxxx**